



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221964  
CG-DL-E-25092020-221964

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2952]  
No. 2952]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020  
(आयकर)

का. आ. 3303(अ).—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 118 और धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, के का.आ. 2753 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है-

- (i) प्रविष्टि संख्या 11, 20, 21 तथा 35 को हटाया जाता है।
- (ii) क्रम संख्या 10 के सामने कॉलम (4) में,-

- (क). “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-4” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (ख). “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-8” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (iii) क्रम संख्या 18 के सामने, कॉलम (4) में,-
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-12” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (iv) क्रम संख्या 19 के सामने, नामतः
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-20” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।
- (v) क्रम संख्या 32 के सामने नामतः
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-27” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।
- (ख). “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-20” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।

[अधिसूचना सं. 78 /2020 फा.सा. 187/4/2020- आईटीए-1]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 51/2014, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को का. आ. 2753 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार 13 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2754 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था।